राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3420/2024

ईरम खान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, प्रशासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला (ग्रामीण) संभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर।
4. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उप संभाग, Jhadol, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.11.2024

आदेश की दिनांक : 27.11.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता के पद पर पीएचईडी उपखंड झाडोल, जिला उदयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपखंड सलूम्बर, उदयपुर स्थानांतरित किया गया है और कार्मिक श्री राजेन्द्र सिंह को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया, जिसके

विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 06.03.2024 के द्वारा उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित करते हुये अंतरिम आदेश जारी किया, जिसकी पालना में अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यग्रहण करवाया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 03.05.2024 को फरवरी, 2024 से वेतन भुगतान के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु अपीलार्थी को वेतन का भुगतान नहीं किया गया और उसे लगभग 9 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा, जिससे जीवन व्यापन में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं। अपीलार्थी निरंतर सेवायें दे रही हैं। इस प्रकार के मामलों में अधिकरण द्वारा कई आदेश जारी किये गये हैं।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को माह फरवरी, 2024 से वेतन भुगतान एवं शेष राशि सहित समस्त लाभ प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कनिष्ठ अभियंता के पद पर पीएचईडी उपखंड झाडोल, जिला उदयपुर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को फरवरी, 2024 से वेतन आदि का भुगतान नहीं किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 22.02.2024 को अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील प्रस्तुत की गई है और अधिकरण द्वारा दिनांक 06.03.2024 को उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित करते हुये अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखे जाने का निर्देश देते हुये अंतरिम आदेश जारी किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 07.03.2024 को कार्यग्रहण करने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस प्रकार अपीलार्थी ने जिस तिथि से कार्यग्रहण किया है, उस तिथि से वेतन आदि का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। इस प्रकार हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी जहां पदस्थापित है उसे कार्यग्रहण तिथि से वेतन आदि का लाभ प्रदान किया जावे।

अतः उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य